मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का संख्यांक २ का संशोधन.

३. धारा ३५ का संशोधन.

४. धारा ४० का संशोधन.

५. धारा ४१ का स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् १९१५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, परन्तुक में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(क) कोई ऐसी लिखत, उस शुल्क के जिससे कि वह प्रभार्य है, भुगतान कर दिये जाने पर अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से एक प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान कर दिये जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य, रजिस्ट्रीकृत अथवा अधिप्रमाणित होगी. किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी:

परन्तु, उक्त के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की कम वाले भाग के लिए प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए, लिखत के निष्पादन की तारीख से भुगतान दिनांक तक एक प्रतिशत के बराबर ब्याज भी देय होगा."

धारा ४० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(ख) (एक) यदि, जांच करने के पश्चात्, उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिये प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से एक प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान किया जाए तथा उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है. यह रकम उस व्यक्ति द्वारा देय होगी, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो:

परन्तु किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी;

(दो) उक्त के अतिरिक्त, स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से भुगतान दिनांक तक एक प्रतिशत के बराबर ब्याज भी देय होगा:

परन्तु जब ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गई है कि वह इस अधिनियम की धारा १३ या धारा १४ के उल्लंघन में लिखी गई है, तब कलेक्टर, यदि यह ठीक समझे तो, इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति तथा ब्याज को माफी दे सकेगा;".

धारा ४१ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

घटनावश असम्यक रूप से स्टाम्पित लिखतें.

"(४१). रसीद या विनियम-पत्र या वचन-पत्र से भिन्न कोई ऐसी लिखत, जो शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्व-प्रेरणा से उसके निष्पादन अथवा प्रथम निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के भीतर कलक्टर के समक्ष पेश की जाती है और ऐसा व्यक्ति कलक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और उचित शुल्क की रकम, अथवा उसके पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से भुगतान दिनांक तक एक प्रतिशत के बराबर ब्याज के साथ चुकाने की कलक्टर को प्रस्थापना करता है, और कलक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसी लिखत घटनावश, भूल या अत्यधिक आवश्यकता के कारण सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हो पाई थी, तो वह ऐसी रकम को स्वीकार कर सकेगा और इसके पश्चात् इसमें विहित रूप से आगे की कार्यवाही करेगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) एक केंद्रीय अधिनियम है. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कतिपय संशोधन निम्नलिखत उद्देश्यों और कारणों से प्रस्तावित किए जा रहे हैं :-

(एक) धारा ३५ एवं धारा ४० के संशोधन, अपर्याप्त मुद्रांक की लिखतों की दशा में अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की दर को दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत किए जाने के अतिरिक्त, प्रतिमाह या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से "ब्याज" की वसूली के उपबंध जोड़े जाने हेतु अपेक्षित है.

(दो) धारा ४१ का संशोधन, इस धारा के अधीन देय ब्याज की अधिकतम सीमा के उपबंध को विलोपित करने तथा ब्याज की दर को दो प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत स्थापित करने हेतु अपेक्षित है.

२. अतएव, स्टाम्प प्रकरणों में त्वरित राजस्व वसूली की दृष्टि से, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ में, एतद्द्वारा इस आशय के संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २७ जुलाई, २०२५.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए.पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) से उद्धरण

* * * *

३५. सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गई लिखतें साक्ष्य, आदि में अग्राह्य हैं- शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है किसी व्यक्ति द्वारा, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणित नहीं की जाएगी:

परन्तु--

(क) कोई ऐसी लिखत, उस शुल्क के, जिससे कि वह प्रभार्य है, भुगतान कर दिए जाने पर अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से दो प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान कर दिए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य, रजिस्ट्रीकृत अथवा अधिप्रमाणित होगी, परन्तु किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल्य राशि से अधिक नहीं होगी.

* * * *

४०. परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति-

(१) जबकि कलक्टर किसी लिखत को, जो रसीद या विनिमय-पत्र या वचन-पत्र नहीं है, धारा ३३ के अधीन परिबद्ध करता है, या धारा ३८ की उप-धारा (२) के अधीन उसे भेजी गई किसी लिखत को प्राप्त करता है, तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा-

(क) यदि, उसकी यह राय है कि ऐसी लिखित सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह यथास्थिति, सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या वह इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है:

(ख) यदि, जाँच करने के पश्चात् उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से दो प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान किया जाए तथा उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है। यह रकम उस व्यक्ति द्वारा देय होगी, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो:-

परन्तु किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जब ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गई है कि वह धारा १३ या धारा १४ के उल्लंघन में लिखी गई है, तब यदि कलेक्टर, यह ठीक समझे तो, इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा;

४१. घटनावश असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतें रसीद या विनिमय- पत्र या वचन-पत्र से भिन्न कोई ऐसी लिखत, जो शुल्क

से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वप्रेरणा से उसके निष्पादन अथवा प्रथम निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के भीतर कलक्टर के समक्ष पेश की जाती है और ऐसा व्यक्ति कलक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और उचित शुल्क की रकम अथवा उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से दो प्रतिशत के बराबर ब्याज के साथ चुकाने की कलक्टर को प्रस्थापना करता है और कलक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसी लिखत घटनावश, भूल या अत्यधिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हो पाई थी, तो वह ऐसी रकम को स्वीकार कर सकेगा और इसके पश्चात् इसमें विहित रूप से आगे की कार्यवाही करेगा:

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.